



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227520
CG-DL-E-11062021-227520

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2049]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 2049]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISHTHA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2209(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट NH63 के होस्पेट-बेलारी-केएन / एपी बॉर्डर अनुभाग के किमी 280.08 किमी से 375.45 किमी, तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH63 के होस्पेट-बेलारी-केएन / एपी बॉर्डर अनुभाग के किमी 280.08 किमी से 375.45 किमी तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	स्पेशल लैंड एक्जीजीशन अफसर,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कर्नाटक	बल्लारी	होसपेट	1	इंगलिगी
						2	वद्रहल्ली

	एन.एच.ए.आई बेल्लारी	NH63 के कि.मी. 280.08 से 375.45 तक																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						19	वेणी वीरपुर
						20	बेलगल्लू
						21	मुंदरगी
					संदूर	1	तोरनागल
						2	कुरेकुप्पा

[फा. सं. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2209(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 280.08 to Km. 375.45 of Hospet-Bellary-KN/AP Border section of the NH63 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on Hospet-Bellary-KN/AP Border section of National Highway No. NH63 from Km. 280.08 to Km. 375.45 in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Special Land Acquisition Officer, NHAI Bellary	280.08KM To 375.45KM	KARNATAKA	BALLARI	Hosapete	1	Ingaligi
						2	Vadrahalli
						3	Papinayakanahalli
						4	Byluvadigeri
						5	Dharmasagara
						6	Kottiginahal
						7	Gadiganur
						8	Buvvanahalli
						9	Gonahalu
						10	Sankalapuram
						11	Jambunathanahalli
						12	Amaravathi
						13	Kariganur
					Ballari	1	Kolagallu

						2	Bevinahalli
						3	Bisalahalli
						4	Bellary Gonahal
						5	Andralu
						6	Patrabudhihal
						7	Aladahalli
						8	Honnahalli
						9	Halakundi
						10	Sanjeevarayanakote
						11	Asundi
						12	Kakkabevinahalli
						13	Amarapura
						14	Godehal
						15	Joladarasi
						16	Paramadevanahalli
						17	Bobbukunta
						18	Kudtini
						19	Veni Veerapur
						20	Belagallu
						21	Mundarigi
					Sandur	1	Toranagal
						2	Kurekuppa

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET]

RAJEESH GUPTA, Director